

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P)

Case No.....55/18 sum

Complaint or report madeon06-12-16

Name and address of the Complainant.....police station malanpur.....

.....

Name , parentage,caste and address of accused

जगतारसिंह पुत्र कुन्दासिंह उम्र 45 साल
निवासी ग्राम बहादुर नगर जिला लखीमपुर खीरी उ0प्र0

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 06.12.16 को समय लगभग 8:45 बजे, स्थान भिण्ड ग्वालियर रोड केडबरी फेक्ट्री के सामने मालनपुर अंतर्गत थाना मालनपुर में वाहन बस क्र0 यूपी 31 टी9595 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया जो कि भा0द0वि0 की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।

हस्ताक्षर अभियुक्त

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 05.04.18 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा0द0वि0 की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी जगतारसिंह पुत्र कुन्दासिंह को भा.द.वि. की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को सात दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तपुदा सम्पत्ति वाहन बस क्र0 यूपी 31 टी9595 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)